रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092025-266265
CG-DL-E-20092025-266265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
No. 636] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025

फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/7-विविध(5)/2025(ई-5734)/01.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, अपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को अधिकृत करना) विनियम, 2008 में और संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

लघु शीर्षक और प्रारंभ

1. इन विनियमों को *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) (संशोधन) विनियम, 2025* कहा जाएगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख़ से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में—

(क) विनियम 2, खंड (1), में "परफॉर्मेंस बॉन्ड" की परिभाषा देने वाले उपधारा (ज) को जोड़ा जाएगा:-

"परफॉर्मेंस बॉन्ड" में, जैसा भी मामला हो, भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आदेश (पे ऑर्डर) या बैंक गारंटी अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा लाइसेंस/सूचित बीमा कंपनियों से बीमा ज़मानत बांड **(**बीमा श्योरिटी बॉन्ड**)** शामिल होगा, जिसकी राशि विनियम में निर्दिष्ट है।"

(ख) विनियम 9, खंड (1) में तालिका के ऊपर "डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश (पे ऑर्डर) या भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(ग) विनियम 9, खंड (1) में, "पीबीजी" शब्दों के स्थान पर "परफॉर्मेंस बॉन्ड" शब्द रखा जाएगा।

(घ) विनियम 9, खंड (1) में, तालिका के नीचे दिए गए परिच्छेद में "यदि परफॉर्मेंस बॉन्ड बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है", इस वाक्यांश हटा दिया जाएगा।

(ङ) विनियम 9, खंड (1) में, तालिका के नीचे दिए गए परिच्छेद में "गारंटी (पीबीजी)" शब्द को हटा दिया जाएगा।

(च) विनियम 9, खंड (1) में "स्पष्टीकरण" शब्द के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

"बीमा ज़मानत बांड (बीमा श्योरिटी) बॉन्ड के रूप में परफॉर्मेंस बॉन्ड विनियम में निर्दिष्ट राशि के अधिकतम 50% तक स्वीकार किए जाएंगे तथा शेष 50% अन्य साधनों के माध्यम से, जैसा कि विनियम 2(1)(जे) में परिभाषित है, स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, इकाई , विनियम में निर्दिष्ट मूल्य के 100% तक बैंक गारंटी/डीडी/पे ऑर्डर के रूप में परफॉर्मेंस सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है।"

(छ) विनियम 16 के खंड (4) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा,

"बशर्ते कि परफॉर्मेंस बॉन्ड को भुनाने के मामले में, सबसे पहले बैंक गारंटी भुनाई जाएगी, उसके पश्चात् बीमा ज़मानत बांड (बीमा श्योरिटी बॉन्ड) और अन्य लिखतों को भुनाया जाएगा, जैसा भी मामला हों।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./369/2025-26]

पाद टिप्पणी:

1. मुख्य विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार हेतु इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(i) में दिनांक 19 नवंबर 2008 को जी.एस.आर. 196(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार हेतु इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2008, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(i) में दिनांक 19 मार्च 2008 को जी.एस.आर. 800(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2009, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(i) में दिनांक 30 अप्रैल 2009 को जी.एस.आर. 295(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार हेतु इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(i) में दिनक 7 जून 2010 को जी.एस.आर. 478(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार हेतु इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(i) में दिनांक 19 जुलाई 2010 को जी.एस.आर. 605(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2013, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 21 जून 2013 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/समीक्षा-2011/2012-III के तहत प्रकाशित किए गए थे।

7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 7 अप्रैल 2014 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/बोली/4/2013-पूर्व-बोली के तहत प्रकाशित किए गए थे।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 1 जनवरी 2015 को एफ. सं. एल-विविध/VI/I/2007 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2015, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 13 फरवरी 2015 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/संशोधन-2015 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2015, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 15 दिसंबर 2015 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/संशोधन/2015/2 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार हेतु इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 30 मार्च 2016 को एफ. सं. वीकेएस/डीबी/03/सीजीडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार हेतु इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 27 अप्रैल 2016 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/संशोधन/2015/2/एससी द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

13. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 6 अप्रैल 2018 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/सीजीडी/संशोधन/2018 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

14. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) दूसरा संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 27 अप्रैल 2018 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/सीजीडी/संशोधन/2018/2 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

15. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) तृतीय संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 9 नवंबर 2018 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/सीजीडी/संशोधन/2018/3 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

16. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 26 नवंबर 2018 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/सीजीडी/संशोधन/2018/4 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

17. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 30 सितंबर 2020 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी (07)/2020 (P-884) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

18. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 8 सितंबर 2021 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी (79)/2019(P-770) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

19. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2022, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 15 फरवरी 2022 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी (79)/2019 (पी-770) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

20. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2023, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 29 मार्च 2023 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी (08)/2020(पी-894) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

21. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2024 भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 26 दिसंबर 2024 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी (5)/2024 (ई-5303) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, 15th September, 2025

F. No. PNGRB/Comm/7Misc (5)/2025 (E-5734)/01. **---** In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 namely: -

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,

(a) In regulation 2, clause (1) defining "Performance Bond" sub clause (j), shall be inserted:-

"The Performance Bond, as the case may be, shall include Demand Draft or Pay Order or Bank Guarantee from any scheduled bank of India or Insurance Surety Bond from Insurance Companies Licensed / authorized by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) for the amount as specified in the regulation".

(b) In Regulation 9, clause (1), above the table, the words "in the form of demand draft or pay order or bank guarantee from any scheduled bank shall be deleted.

(c) In Regulation 9, clause (1), the words "PBG" shall be substituted with the word "Performance Bond."

(d) In Regulation 9, clause (1), in the paragraph below the table the phrase "Ïn case the performance bond is submitted through bank guarantee" shall be deleted.

(e) In Regulation 9, clause (1), in the paragraph below the table the words "guarantee (PBG)" shall be deleted.

(f) In Regulation (9) clause (1) after "clarification" following shall be inserted:

"The performance Bond by way of Insurance Surety Bonds will be accepted to the extent of maximum upto 50% of the amount as specified in the regulation and balance 50% will be accepted by way of any of other instruments as mentioned in the definition of Performance Bond at regulation 2 (1) (j)". However, Entity is free to provide the performance security by way of Bank Guarantee/DD/Pay Order to the extent of 100% of the value as stipulated in the respective regulation.

(g) In Regulation 16, clause (4) the following proviso shall be inserted,
Provided that in case of encashment of Performance Bond, firstly Bank Guarantee will be encashed followed by Insurance Surety Bond and other instruments, as case may be."

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./369/2025-26]

Foot Note:

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 19th November 2008, vide G.S.R. 196(E).
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2008, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 19th March 2008, vide G.S.R. 800(E).
3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2009, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 30th April 2009, vide G.S.R. 295(E).
4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 7th June 2010, vide G.S.R. 478(E).
5. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 19th July 2010, vide G.S.R. 605(E).
6. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2013, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 21st June 2013, vide F. No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III.
7. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 7th April 2014, vide F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE-BID.
8. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 1st January 2015, vide F. No. L-MISC/VI/ I/2007.
9. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2015, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 13th February 2015, vide F. No. PNGRB/CGD/REGULATIONS/AMEND-2015.
10. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2015, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 15th December 2015, vide F. No. PNGRB/CGD/Amendment/2015/2.
11. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 30th March 2016, vide F. No. VKS/DB/03/CGD.
12. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016, was

published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 27th April 2016, vide F. No. PNGRB/CGD/Amendment/2015/2/SC.

13. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 6th April 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018.

14. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Second Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 27th April 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2.

15. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Third Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 9th November 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/3.

16. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Fourth Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 26th November 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/4.

17. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 30th September 2020, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (07)/2020 (P-884).

18. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2021, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 8th September 2021, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (79)/2019(P-770).

19. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2022, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 15th February 2022, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (79)/2019 (P-770).

20. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2023, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 29th March 2023, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (08)/2020(P-894).

21. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2024 was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 26th December 2024 vide F no. PNGRB/Auth/1-CGD (5)/2024 (E-5303)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.20 11:09:24 +05'30'